



2026:AHC: 128000

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19494/2026

फूल प्यारी उर्फ फूलमती

.....आवेदिका(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदिका(गण) के अधिवक्ता

: अच्युतानंद पाण्डेय, अमित सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, मनोज कुमार

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. संशोधित पुकार के बाद भी प्रथम सूचनादाता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
3. वर्तमान जमानत आवेदन, विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- मोहम्मदबाद, जिला- फर्रुखाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 66 वर्ष 2026, बी.एन.एस. की धारा 85, 80(2) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत आवेदिका को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण है कि आवेदिका निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वह मृतका की सास है। वह एक विधवा है, और उसके विरुद्ध केवल सामान्य और अस्पष्ट अभिकथन किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व फांसी के परिणामस्वरूप दम घुटने के कारण था। मृतका के शरीर पर गर्दन पर लिगेचर मार्क के अलावा कोई चोट नहीं है। आवेदिका के विरुद्ध कोई विशिष्ट अभिकथन नहीं है। आवेदिका का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदिका 04.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण में सहयोग करेगी।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदिका को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदिका के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने की हकदार नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरणों, अभिकथनों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदिका द्वारा व्यतीत की गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त की अनुपस्थिति पर विचार करने के बाद, और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदिका ने जमानत देने का मामला बना लिया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदिका- **फूल प्यारी उर्फ फूलमती** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभुओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदिका इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगी कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगी जब न्यायालय में गवाह उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।

(ii) आवेदिका विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगी। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, बिना पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 229-ए/ बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि, आवेदिका विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82/ बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदिका ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहती है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार भा.द.सं. की धारा 174-ए/ बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगी।

(iv) आवेदिका (1) वाद शुरू होने, (2) आरोप विरचित करने और (3) दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगी। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदिका की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करना खुला होगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका को जमानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 जून, 2026

राधिका

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”